

वित्त तथा योजना विभाग
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (99).— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा "नया रायपुर" परियोजना हेतु "नया रायपुर डेवलपमेंट अथारिटी" के पक्ष में निष्पादित निजी भूमि क्रय संबंधी लिखतों पर वर्ष 2006-07 के लिये 31 मार्च, 2007 तक तत्काल प्रभाव से स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (99).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुमति से इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-112/2006/वा. कर (पं.)/पांच (99) दिनांक 21-12-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 21st December 2006

NOTIFICATION

No. F 10-112/2006/CT/(R)/V (99).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby remits the stamp duty upto 31st march, 2007, chargeable on instruments executed in favour of "Naya Raipur Development Authority" relating to purchase of private land, under the "Naya Raipur" project for the year 2006-07 with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.